संख्या–2071/68-5-2019

प्रेषक

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2019

विषयः– **महिला अंशकालिक अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं के 06 माह के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक–अंश0अनु0/मातृत्व अवकाश/4629/2019–20, दिनांक 17.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महिला अंशकालिक अनुदेशकों/ शिक्षामित्रों/ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला अंशकालिक अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं के 06 माह (180 दिन) के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
30/12/19
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
6– वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
7– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव ।

Important D.O.-Rep-1510.doc

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner